जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने उत्तराखंड के **जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान** के **कोर और बफर ज़ोन** से होकर निजी बसों के संचालन के मुद्दे पर विचार करते हुए **वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय समुदाय** की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने पर ज़ोर दिया।

- सर्वोच्च न्यायालय **जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क** के वर्ष 2020 **के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था,** जिसमें मुख्य क्षेत्र के भीतर निजी बसों को अनुमति दी गई थी, जिस पर **वर्ष 2021** से रोक लगी हुई थी।
    - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 38(o)** में कहा गया है कि **बाघ अभयारण्यों** को पारिस्थितिक रूप से असंवहनीय उपयोगों के लिये नहीं बदला जा सकता।
        - यदि ऐसा परिवर्तन आवश्यक हो तो उत्तराखंड राज्य को **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण** की सलाह पर **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त** करना होगा।
        - संरक्षित क्षेत्रों के परिवर्तन में पारिस्थितिकी तंत्र को दीर्घकालिक नुकसान से बचाने के लिये सख्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिये।
- **उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले** में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, **कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व** का हिस्सा है।
    - इसकी स्थापना वर्ष 1936 में बंगाल बाघ के संरक्षण के लिये **हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी,** यह भारत का सबसे तथा **वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल पहला राष्ट्रीय उद्यान है।**
- **कोर ज़ोन** प्राकृतिक संसाधनों **के लिये कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र** है, जबकि **इसके चारों ओर का क्षेत्र बफर ज़ोन कहलाता है,** जिसमे सुसंगत मानवीय गतिविधियों के साथ-साथ स्थायी प्रकृति संरक्षण की भी अनुमति प्राप्त होती है।

और पढ़ें: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व: उत्तराखंड

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jim-corbett-national-park-1